प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

3501
22/08/22

पत्रांक /ल0सिं0/एकीकरण/2022–23 दिनांक 08 अगस्त, 2022

**विषय–** **लघु सिंचाई विभाग एवं सिंचाई विभाग का एकीकरण/पुर्नगठन कर "जल शक्ति विभाग" बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 मंत्री जी, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 28–04–2022 एवं 06–07–2022 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण/पुनर्गठन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश राज्य में इन विभागों के किये गये एकीकरण/पुर्नगठन के अनुरूप ही उत्तराखण्ड राज्य में भी एकीकरण/पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जाये। इस हेतु दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष एक संयुक्त बैठक आयोजित करते हुए विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।

उक्त के क्रम में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3107 दिनांक 21–07–2022 द्वारा दिनांक 23–07–2022 को दोनों विभागों की संयुक्त बैठक आहुत की गयी। बैठक में चर्चा के दौरान लघु सिंचाई विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गयाः–

**विभागीय योजनाओं सम्बन्धी भिन्नता–**

सिंचाई विभाग के कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई नहरों का निर्माण/अनुरक्षण, बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण/अनुरक्षण, जलाशयों का निर्माण/अनुरक्षण, बांध/बैराजों का निर्माण/अनुरक्षण, नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण/अनुरक्षण, पुलों का निर्माण/अनुरक्षण तथा अन्य विविध अभियांत्रिक कार्यों का क्रियान्वयन/अनुरक्षण किया जाता है।

जबकि लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई गूलों का निर्माण/अनुरक्षण, सिंचाई हौजों का निर्माण, हाईड्रम का निर्माण/अनुरक्षण, चैक डैमों का निर्माण, गेटेड वियर का निर्माण, आर्टीजन कूप का निर्माण, सोलर ट्यूबवैल का निर्माण, सोलर सिंचाई लिफ्ट योजनाओं का निर्माण, मैदानी क्षेत्रों में अनुदान आधारित व्यक्तिगत बोरवेल का निर्माण एवं प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत कृषकों के डीजल चालित पम्पसैट को सोलर चालित पम्पसैट में परिवर्तित किये जाने का कार्य, जल संरक्षण संभरण हेतु रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण आदि कार्य एवं अन्य विविध अभियांत्रिक कार्यों का क्रियान्वयन/अनुरक्षण का कार्य किया जाता है।

550(14)

**दृष्टिकोण सम्बन्धी भिन्नता–**

Engineer In Chief (Irrigation)

Shri Chamoli

10/08/22

अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य में लघु सिंचाई विभाग का गठन लघु एवं सीमान्त तथा व्यक्तिगत कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप छोटी सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने एवं कृषकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, इस प्रकार लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे लघु एवं सीमान्त कृषक एवं कृषक समूहों आधारित योजनाओं के निर्माण पर केन्द्रित है। उक्त के दृष्टिगत लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप छोटी–छोटी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं की लागत काफी कम होती है, तथा ये योजनाएं अल्प समय में ही पूर्ण हो जाती हैं, जिससे योजना का लाभ शीघ्र प्राप्त होने लगता है।

जबकि सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य वृहद सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं, बड़े बांधों/बैराजों का निर्माण, बड़े जलाशयों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी कार्य, विद्युत चालित नलकूपों/लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण आदि पर केन्द्रित है तथा उक्त के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा बड़ी योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिनकी लागत अपेक्षाकृत काफी अधिक होती है।

**स्थापना सम्बन्धी भिन्नता–**

(अ) सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के सिविल एवं यांत्रिक के दो अलग–अलग कैडर हैं, इसी प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता संवर्ग में भी सिविल एवं यांत्रिक के पृथक–पृथक कैडर हैं, जबकि लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता सवंर्ग एवं कनिष्ठ अभियन्ता संवर्ग में कृषि, सिविल एवं यांत्रिक का एक संयुक्त कैडर है। इस प्रकार दोनों विभागों के कैडर में काफी भिन्नता है।

(ब) सिंचाई विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के खण्डीय/मण्डलीय/मुख्य अभियन्ता के पृथक–पृथक तीन कैडर हैं, जबकि लघु सिंचाई विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एक संयुक्त कैडर है।

(स) इसी प्रकार अन्य सवंर्गों में भी दोनों विभागों में विषम भिन्नताएं हैं।

**ढांचागत भिन्नता–**

लघु सिंचाई विभाग के विभागीय ढांचे के अन्तर्गत कुल 539 पद स्वीकृत है। इस प्रकार लघु सिंचाई विभाग का विभागीय ढांचा अत्यन्त छोटा है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद स्वीकृत है। इस प्रकार छोटे ढांचें के बावजूद भी विभाग की पहुंच विकासखण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर तक है तथा विभाग को ग्राम स्तर की समस्याओं की बेहतर जानकारी रहती है। लघु सिंचाई विभाग का स्थापना सम्बन्धी व्यय भी अत्यन्त कम है तथा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थापना सम्बन्धी व्यय की तुलना में दो से तीन गुना अधिक लागत की योजनाओं का कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। जबकि सिंचाई विभाग के विभागीय ढांचे के अन्तर्गत 5508 पद स्वीकृत हैं तथा उनका स्थापना सम्बन्धी व्यय भी तुलनात्मक रूप से अधिक है।

बैठक में चर्चा के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि यदि दोनों विभागों को मिलाकर एक विभाग बनाया जाता है तो इससे राज्य के व्यय भार पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अपितु इससे निम्न समस्याएं पैदा होने की सम्भावना रहेगीः–

1– दोनों विभागों में कैडर सम्बन्धी भिन्नता होने के कारण कार्यरत कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता सम्बन्धी काफी विधिक विवाद उत्पन्न होंगें, जिससे कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी लाभ प्रभावित होंगें, साथ ही कार्मिकों के आपसी सामंजस्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

2– लघु सिंचाई विभाग को अधिकांशत केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होती है। अतः नई योजनाओं के निर्माण तथा उनकी भारत सरकार से स्वीकृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहेगी।

3– दोनों विभागों के दृष्टिकोण में काफी भिन्नता है। लघु सिंचाई विभाग का दृष्टिकोण छोटी योजनाओं के निर्माण एवं सूक्ष्म स्तर पर किसान केन्द्रित होने के कारण छोटे कृषकों के हित प्रभावित होंगें, जोकि लम्बे समय में राज्य के हितों के अनुरूप नहीं होगा।

4– वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई हेतु विभिन्न अभिनव प्रयास किये जा रहें हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य में नये सोलर चालित सिंचाई योजनाओं का निर्माण, चैक डैम निर्माण, जल संरक्षण एवं संभरण हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

5– राज्य में सिंचाई पर होने वाले पानी की बचत हेतु सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) के निर्माण एवं उसे बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

6– लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में डीजल एवं विद्युत की खपत कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार की PM–KUSUM योजना के अन्तर्गत डीजल चालित सिंचाई योजनाओं को सोलर चालित सिंचाई योजनाओं पर परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में उर्जा की खपत कम होगी, जिससे राज्य के संसाधनों पर भार में कमी आयेगी। एकीकरण की दशा में उक्त उद्देश्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

7– राज्य के पर्वतीय जनपदों में लघु सिंचाई योजनाओं का ही निर्माण किया जाना अधिक उपयोगी है, जिस हेतु लघु सिंचाई विभाग सतत प्रत्यनशील रहा है, जिसपर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

यह तथ्य भी संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व में जल शक्ति विभाग का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, सिंचाई (यान्त्रिक), ग्रामीण जलापूर्ति, नमामि गंगे, परती विकास विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग आदि को सीधे शासन के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग में रखा गया है। मा0 मंत्री जी द्वारा भी उत्तर प्रदेश राज्य में जल शक्ति विभाग के गठन के अनुरूप ही उत्तराखण्ड राज्य में भी प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में जल शक्ति विभाग के एकीकरण/पुनर्गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–सीएम–49/बीस–1–ई–2019–603 (47)/90टी0सी0– 18 दिनांक 30–08–2019 **(संलग्नक–1)** पर भी विचार किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में "जल शक्ति विभाग" के गठन के सम्बन्ध में लघु सिंचाई विभाग का मन्तव्य निम्नवत् हैः–

1– राज्य में दोनों विभागों को मिलाकर "जल शक्ति विभाग" का गठन किया जाये।

2– नवगठित "जल शक्ति विभाग" के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग/योजनाएं होंगीः–

(i) सिंचाई विभाग

(ii) लघु सिंचाई विभाग

3– जल शक्ति विभाग के गठन पश्चात इसके अन्तर्गत सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग पृथक–पृथक रूप से कार्य करते रहेंगें।

4– उपरोक्त के फलस्वरूप दोनों विभाग/शाखा "जल शक्ति विभाग" उत्तराखण्ड शासन को पूर्ववत् परियोजनाओं का गठन, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का प्रेषण करते रहेंगें।

5– अपने विभाग/शाखा से सम्बन्धित केन्द्रपोषित, बाह्य सहायतित परियोजनाओं को तैयार करना, योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सम्बन्धी विवरण भारत सरकार को प्रेषित करना एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य सम्बन्धित विभाग/शाखा द्वारा किया जाता रहेगा।

6– सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व की भांति अपनी विभागीय योजनाओं का संचालन किया जाता रहेगा।

7– दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष अपने विभाग/शाखा के अन्तर्गत पूर्ववत् स्थापना, विभागीय पदोन्नति, स्थानान्तरण, कार्यक्रम सम्बन्धी दायित्वों का निष्पादन एवं अन्य कार्यों/दायित्वों का निर्वहन किया जाता रहेगा।

अतः लघु सिंचाई विभाग की ओर से उपरोक्तानुसार लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग के एकीकरण/पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

**(बी0के0तिवारी)**
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

**संख्या– 1039 /ल0सिं0/एकीकरण/2022–23 दिनांक उक्तवत्**

**प्रतिलिपि–**

1– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेंषित।

2– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

**(बी0के0तिवारी)**
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।